

भाग-2

(संबन्धित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं.....


भाग-11

1. परियोजना/स्कीम का स्थान	33/11 केंवी विद्युत उपकेन्द्र राधाग्राम हेतु राजमार्ग सं. 25 (पलिया-लखनऊ मार्ग) के किमी 260.4 से 264.2 कुल 3.8 किमी० के मध्य बायीं घटरी पर 33 केंवी भूमिगत केबिल डालने का कार्य प्रस्ताव।
(i) राज्य/संघ भासित प्रदेश	उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(ii) जिला	लखनऊ
(iii) वन प्रभाग	अवध वन प्रभाग
(iv) वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.168 हेक्टेयर
(v) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
(vi) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) एवं (सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल-4 भी संलग्न की जाये।)	कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।
(vii) वनस्पति का घनत्व	0.1
(viii) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदन गीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू क्षरण नहीं है।
(ix) वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	संरक्षित वन भूमि से मिला है।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य, जीवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हो तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियों संलग्न करें)	नहीं
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशुद्ध प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्त सम्बन्धित ब्यौरा दें?	नहीं
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वी पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान/कोई और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो दें।	नहीं
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्प के ब्यौरों के साथ मदवार क्षेत्र क्या है।	भूमि का मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9. क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुये किया गया है (हो/नहीं) यदि हाँ तो किये गये कार्य की अवधि, दोशी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित ब्यौरा दें, उल्लंघन करते हुये कार्य क्या अभी चल रहे हैं।	नहीं
10. क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के ब्यौरा	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	01 भूखण्ड
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाले प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत आदि।	आम, जामुन, नीम, सिस, प्रासिपिस आदि।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय (मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन.पी.वी)	1. प्रभावित 0.168 हे० को दुगुने अर्थात 0.338 हे० अवनत वन भूमि में रोपण हेतु ₹० 216502.00 प्रति हे० की दर से ₹० 72745.00 व्यय आयेगा। 2. प्रभावित 0.168 हे० संरक्षित वन भूमि की एन०पी०वी० ₹० 626000.00 प्रति हे० की दर से 105168.00 का व्यय आयेगा। कुल धनराशि ₹० 177913.00 (एक लाख सत्तर हजार नौ सौ तेरह) मात्र
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के समक्ष प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11. जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है। रिपोर्ट वि. 1 शत: उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संलग्न है।


12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल	अवध वन प्रभाग
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	252800 हे.
(ii) जिले का वन क्षेत्र	10427.12 आरक्षित वन, 259.80 संरक्षित वन
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के समक्ष प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11. जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है। रिपोर्ट वि शेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	
12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल	अवध वन प्रभाग, लखनऊ/लखनऊ
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	252800 हे.
(ii) जिले का वन क्षेत्र	10327.12 आरक्षित वन, 259.80 संरक्षित वन
(iii) 1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वेनत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	61 मामले 151.882 हे.
(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर क. दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को भागिल करते हुये वनभूमि	160.45 हे.
ख. वेनत्तर भूमि	5.27
(v) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	
क. वनभूमि	107.82
ख. वेनत्तर भूमि	1.56
13. कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये उप वन संरक्षक की वि शेष सिफारिशें।	जन सुविधा के परिपेक्ष्य में संस्तुति की जाती है।

तिथि:-

स्थान:- लखनऊ।

  
 क्षेत्रीय वनाधिकारी  
 लखनऊ।

  
 उप प्रभागीय वनाधिकारी  
 लखनऊ।

  
 (एस.सी. यादव)  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 लखनऊ, इन्दिरा नगर, लखनऊ